To Complete the Construction Work of Government Women College

*36 (14/15/383) SHRI HARVINDER KALYAN, M.L.A: Will the Deputy Chief

Minister be pleased to state:

- a) whether it is a fact that on the request of Higher Education Department the construction work of Govt. College for Women at Bastara in Gharaunda Assembly Constituency (Karnal) was started;
- b) the date when the construction work of above said college was started;
- c) whether it is also a fact that the construction work of this college has been stopped for last around 3 years; and
- d) if so, the time by which the construction work of the above said college is likely to be restarted/completed?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) Yes, Sir
- b) The work of construction of Govt. College for Women at Bastara in Gharaunda Assembly Constituency (Karnal) was started on 26.02.2019 as per agreement.
- c) Yes, presently the work has been stopped by the contractual agency since March, 2022.
- d) At present, no time frame can be given as the matter is sub-judice. The Hon'ble High court has restrained the department from taking any coercive action against the contractual agency.

राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण करना

*36 (14/15/383) श्री हरविंदर कल्याण, (घरौंडा)

क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगें किः

- (क) क्या यह तथ्य है कि घरौंडा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र (करनाल) में राजकीय महिला महाविद्यालय, बसताड़ा का निर्माण कार्य उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर आरम्भ किया गया था;
- (ख) उपरोक्त महाविद्यालय का निर्माण किस तिथि को आरम्भ किया गया था;
- (ग) क्या यह भी तथ्य है कि लगभग गत् तीन वर्षों से इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य रोक दिया गया है; तथा
- (घ) यदि हां, तो उपरोक्त महाविद्यालय के निर्माण कार्य को कब तक पुनः आरम्भ /पूरा किया जाने की संभावना है ?

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

- (क) हाँ,श्रीमान जी।
- (ख) राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य घरौंडा विधानसभा क्षेत्र (करनाल) के बसताड़ा में दिनांक 26.02.2019 को अनुबंध के तहत प्रारंभ किया गया था।
- (ग) हाँ, वर्तमान में संविदा एजेंसी द्वारा मार्च, 2022 से कार्य बंद कर दिया गया है।
- (घ) वर्तमान में, कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने संविदा एजेंसी के खिलाफ बलपूर्वक कार्यवाही करने से रोक दिया है।